FORM NO. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर (राज0)

अपील संख्या 06/2024 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट 2024/10

उनवान– अब्दुल वहीद बनाम हसीना वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	विशेष विवरण
24.01.2024	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को एकपक्षीय सुना गया। वकील अपीलांट द्वारा कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2023 को जारी किया गया था। जिसका निस्तारण आज दिनांक तक लंबित है। तहत न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3ए की पालना नहीं की है। नियमानुसार 30 दिवस में निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में भूमि मुस्लिम वर्ग के खातेदारन की है तथा मुस्लिम विधि के अनुसार खातेदार के जीवन काल में उसके वारिसान का हक निहीत नहीं होता है। अतः अपीलाधीन आदेश का प्रचलन व प्रभाव स्थगित कर अपील स्वीकार की जावे। हमने अपीलांट अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं अपील के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। साथ ही तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर हाल गंगापुरसिटी के आदेश दिनांक 28.07.2023 का अवलोकन किया, जो अब तक अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया इस प्रकार तहत न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 ए सी पी सी की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि मुस्लिम वर्ग की है तथा मुस्लिम लॉ के अनुसार खातेदार के जीवनकाल में वारिसान का हक निहीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में बनना प्रतीत होता है। अतः तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 28.07.2023 समर्थन योग्य नहीं पाया जाना के कारण इसका प्रचलन व प्रभाव/कियान्विति स्थगित कर तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण सुनिश्चित करे। पत्रावली निर्णित शुमार हो। 24/1 उम्मेदीलाल मीना (आर.ए.एस) राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर	

राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर (राजस्थान) [stamp]

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर [stamp]

Scanned with CamScanner